राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के0 संख्या– 75/06–07

विषयः– डॉ0 भूपेन्द्र कुमार मिश्रा, ग्राम+पोस्ट–शिवगंज, जिला–आरा का प्राप्त आवेदन–पत्र।

20.11.2006 आवेदक को दिनांक 07.12.2006 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में पूर्ण तथ्यों एवं कागजातों सहित सुनवाई हेतु बुलावें।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त	(मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त	(न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

07.12.2006 आवेदक श्री भूपेन्द्र कुमार मिश्रा का आवेदन देखा गया। इनके अनुरोध के अनुरूप दिनांक–04.01.07 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में सुनवाई के लिए रखा गया।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त	(मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त	(न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

04.01.2007 आवेदक उपस्थित थे। आवेदन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर आरक्षी अधीक्षक, भोजपुर से दिनांक 20.01.07 के पूर्व प्रतिवेदन की मांग की जाय एवं सुनवाई हेतु दिनांक 25.01.07 को प्रातः 10.30 बजे रखी जाय।

(मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त	(न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

25.01.2007 वादी उपस्थित हैं। दिनांक 4.01.2007 के आदेश के द्वारा आरक्षी अधीक्षक, भोजपुर (आरा) के दिनांक 20.01.2007 के पूर्व प्रतिवेदन की मांग की गयी थी और सुनवाई के लिये वाद को दिनांक 25.01.2007 को रखा गया था। वैद्य नोटिस तामिला के बावजूद न तो प्रतिवेदन ही प्राप्त है और न ही उनके द्वारा कोई मंतव्य ही भेजा गया है। इसलिए आयोग आरक्षी अधीक्षक, भोजपुर (आरा) को अगली तारीख को मंतव्य के साथ खुद आयोग के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश देता है। सुनवाई की अगली तिथि 20.02.2007 को 10.30 बजे प्रातः निर्धारित की जाती है। आरक्षी अधीक्षक का मंतव्य दिनांक 15.02.2007 तक आयोग को आ जाना चाहिये। आरक्षी अधीक्षक को सूचित कर दें ।वादी सुनवाई के समय उपस्थित हैं एवं उन्हें सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त	(मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त	(न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

20.02.2007 वादी उपस्थित नहीं हैं । वादी ने एक आवेदन भेजते हुए समय की मांग की है, जिसे मंजूर करते हुए दिनांक 15.03.2007 को प्रातः 10.30 बजे सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की जाती है ।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त	(मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त	(न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

15.03.2007 आवेदक उपस्थित हैं। आरक्षी अधीक्षक, भोजपुर, आरा का मंतव्य प्राप्त है। उनके पत्र के साथ आरक्षी उपाधीक्षक, मुख्यालय (नगर), भोजपुर, आरा का भी प्रतिवेदन संलग्न है,

जिसमें उठायी गयी सारी बातों का उत्तर दिया गया है। इसकी एक प्रति वादी को दे दी गयी है। अतः वाद को समाप्त किया जाता है।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त